प्रेस को सूचना नोट (प्रेस विज्ञप्ति संख्या 51/2023)

तत्काल प्रकाशन के लिए

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

भादूविप्रा ने टीसीसीसीपीआर, 2018 के तहत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग आधारित यूसीसी_डिटेक्ट सिस्टम लगाने के लिए निर्देश जारी किए

नई दिल्ली, 13 जून 2023 - भादूविप्रा ने सभी एक्सेस प्रदाताओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग आधारित यूसीसी_डिटेक्ट सिस्टम तैनात करने का निर्देश दिया है, जो दूरसंचार वाणिज्यिक संप्रेषण उपभोक्ता अधिमान विनियम, 2018 (टीसीसीसीपीआर-2018) के प्रावधानों के अनुसार पंजीकृत नहीं होने वाले कमर्शियल कम्युनिकेशन के प्रेषकों का पता लगाने, उनकी पहचान करने, और उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए है। वे इकाइयां जो एक्सेस प्रदाताओं के साथ पंजीकृत नहीं होती हैं और संदेशों या कॉल के माध्यम से वाणिज्यिक सम्प्रेषण भेजने के लिए 10 अंकों के मोबाइल नंबरों का उपयोग करती हैं, उन्हें अपंजीकृत टेलीमार्केटर्स (यूटीएम) कहा जाता है।

भादूविप्रा अवांछित वाणिज्यिक सम्प्रेषण (यूसीसी) को रोकने के लिए कई कदम उठा रहा है जो जनता के लिए असुविधा का एक प्रमुख स्रोत है। इसके परिणामस्वरूप पंजीकृत टेलीमार्केटर्स (आरटीएम) के खिलाफ शिकायतों में कमी आई है। टीएसपी द्वारा उठाए गए कदमों के बावजूद अपंजीकृत टेलीमार्केटर्स (यूटीएम) से यूसीसी अभी भी जारी है। कई बार ये यूटीएम फर्जी लिंक और टेलीफोन नंबर वाले संदेशों के माध्यम से ग्राहकों को उनकी महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने में फंसाते हैं जिससे ग्राहकों को वित्तीय नुकसान होता है।

ऐसे सभी अपंजीकृत टेलीमार्केटर्स (यूटीएम) का पता लगाने, उनकी पहचान करने और उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए, भादूविप्रा एक्सेस सेवा प्रदाताओं पर भादूविप्रा के दूरसंचार वाणिज्यिक संप्रेषण उपभोक्ता अधिमान विनियम, 2018 (टीसीसीसीपीआर-2018) के ढांचे के भीतर अपेक्षित कार्यात्मकताओं के साथ यूसीसी_डिटेक्ट सिस्टम लागू करने पर जोर दे रहा है। एक्सेस सेवा प्रदाताओं ने अपनी उपयुक्तता और व्यवहार्यता के अनुसार ऐसी पहचान प्रणाली लागू की है। तथापि, चूंकि यूटीएम अवांछित सम्प्रेषण भेजने के लिए लगातार नई तकनीकों का विकास कर रहे हैं, एक्सेस सेवा प्रदाताओं द्वारा तैनात वर्तमान यूसीसी डिटेक्ट सिस्टम ऐसे यूसीसी का पता लगाने में पूरी तरह से सक्षम नहीं हैं।

इसलिए, यूसीसी_डिटेक्ट सिस्टम कार्यान्वयन की एकरूपता के लिए, भादूविप्रा ने सभी एक्सेस प्रदाताओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग आधारित यूसीसी_डिटेक्ट सिस्टम को तैनात करने का निर्देश दिया है, जो यूटीएम द्वारा उपयोग किए जाने वाले नए हस्ताक्षर, नए पैटर्न और नई तकनीकों से निपटने के लिए लगातार विकसित होने में सक्षम हो। एक्सेस प्रदाताओं को डीएलटी प्लेटफॉर्म का उपयोग करने वाले अन्य एक्सेस प्रदाताओं के साथ जानकारी साझा करने के लिए भी निर्देशित किया गया है। एक्सेस प्रदाताओं को यह भी सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया गया है कि ऐसे यूसीसी_डिटेक्ट सिस्टम उन प्रेषकों का पता लगाएं जो थोक में अवांछित वाणिज्यिक सम्प्रेषण भेज रहे हैं और विनियमों के प्रावधानों का पालन नहीं कर रहे हैं। सभी एक्सेस प्रदाताओं को निर्देश दिया गया है कि वे उपरोक्त निर्देशों का पालन करें और तीस दिनों के भीतर की गई कार्यवाही की अद्यतन स्थिति अग्रेषित करें।

किसी भी स्पष्टीकरण/ जानकारी के लिए श्री जयपाल सिंह तोमर, सलाहकार (क्यूओएस) भादूविप्रा से दूरभाष नंबर 011-23230404 पर संपर्क किया जा सकता है।

ह/-

(वी. रघुनन्दन)

सचिव, भादूविप्रा